

प्रेषक,

स्पीड-पोस्ट

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

✓ श्री देवेन्द्र चन्द्र खुटेकर,
तनीरका हाईट्स अपार्टमेंट,
फ्लैट नं०-201, रेनूका नगर,
गली नं०-2 वारजे, पुणे पिनकोड-411058

पत्रांक 1016/ई-1/0903/ज०सू०/देवेन्द्र चन्द्र खुटेकर/614, लखनऊ :दिनांक 18 नवम्बर, 2019
विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।
महोदय,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अपने आवेदन दिनांक 14.10.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो जन सूचना अनुभाग, निदेशालय में दिनांक 05.11.2019 को प्राप्त हुआ है।

आपके द्वारा मांगी गई सूचना दी जाती है, जो तीन पृष्ठों में संलग्न प्रेषित है।

यदि आप उपर्युक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो सम्बन्धित अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन इस पत्र के प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं, जिनका पता निम्नवत् है:-

श्री एम०के० सिंह,
उप निदेशक(सेवायोजन) एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय,
उ०प्र० लखनऊ।
संलग्नक: 03पृष्ठों में।

भवदीय,

(पी०के० पुण्डीर)
उप निदेशक(सेवायोजन)एवं
जन सूचना अधिकारी


प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उ०प्र०,
रोजगार भवन गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, लखनऊ।
पत्रांक 662/ई-10/ज०सू०/सा०/2014/2018
लखनऊ: दिनांक: 13, नवम्बर, 2019

पी०के० पुण्डीर उप निदेशक(सेवायोजन) एवं जनसूचना अधिकारी, निदेशालय

कृपया निदेशालय पत्र संख्या: 996/ई-1/0903/ज०सू०/देवेन्द्र च० खुटे०/614 दिनांक: 08 नवम्बर, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संलग्न श्री देवेन्द्र चन्द्रकान्त खुटेकर, कौशल विकास बोर्ड आफ ओपेन स्कूलिंग एण्ड वोकेशनल एजुकेशन एकजामिनेशन, पुणे महाराष्ट्र, तनिस्का हाईट्स अपार्टमेन्ट, फ्लैट नं०- 201 रेनुका नगर, मेन नं० 2, बारजे, पुणे-411058 द्वारा कौशल विकास बोर्ड के ओपेन स्कूलिंग तथा वोकेशनल एजुकेशनल एकजामिनेशन पुणे के प्रमाण पत्र धारकों/ व्यावसायिक डिप्लोमा धारकों का प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकरण हो सकने के संबंध में जानकारी चाही गयी है। जो निम्नवत् है-

बिन्दु संख्या	प्रश्न	आख्या
3.(ii)	We would like to know whether the Registration of Candidates holding the Certificate/Vocational Diploma issued by Kaushlya Vikas Bord of open Schooling and Vocational Education Examination, Pune, Maharashtra (KV Bord) is Possible at all Employment Exchanges in Uttar Pradesh state. Kindly let us know the Information under RTI Act, 2005.	उक्त के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के समस्त क्षेत्रीय/जिला सेवायोजन कार्यालयों को निदेशालय पत्र संख्या- 4307/सात/ई-10/जनसूचना/सा०/2014 दिनांक: 23 मार्च 2018 (संलग्न) द्वारा अमान्यता प्राप्त संस्थानों के डिप्लोमा/प्रमाण पत्रों धारक बेरोजगार अभ्यर्थियों का सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराये जाने हेतु डी०जी०ई०टी० श्रम एवम् रोजगार मंत्रालय नई दिल्ली के राष्ट्रीय रोजगार वर्किंग ग्रुप की 35वी बैठक में लिये गये निर्णय संख्या ई०ई०एम० नं०-1/2010/पी०टी०-1/VII/7.9 दिनांक 30 सितम्बर 2010 (संलग्न) के अनुपालन हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार


(सुनील कुमार सिंह)

अपर सांख्यिकीय अधिकारी

श्री बाबूलाल,
प्रधान सहायक
18/11/2019